मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 7-35/1997/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 27 मई, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :— अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने के संबंध में.

संदर्भ :— इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 12-11-1997.

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है. आरक्षित वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों का समुचित पालन नहीं हो पा रहा है तथा पुनः सभी संबंधित को इन निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है.

2/ अतः इस विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 12-11-1997 की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए. यदि इन आदेशों के उल्लंघन के मामले में शासन या वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

हस्ता/—
(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक क्रमांक 7-35/1997/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 27 मई, 2014

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल.
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल.
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल/सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. मुख्य निवार्चन पदाधिकारी/सचिव, राज्य मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र., भोपाल.
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
12. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सी. जी. ओ. बिल्डिंग, 52, अरेरा हिल्स, भोपाल.
14. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पूजा गुप्ता, हैदराबाद-50082.
15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल.
16. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल.
17. आयुक्त, आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास, आयुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल.
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता/-

(आर. के. गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 7-35/97/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :— अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने के संबंध में.

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि इन वर्गों के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके.

इन वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में उदारता एवं सद्भावनापूर्वक कार्यवाही की जाना अपेक्षित है. सेवा के मामलों में इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों की गलतियां किए जाने पर भी सर्वप्रथम समझाइश दी जाकर उनकी कार्यपद्धति में सुधार लाए जाने के प्रयास किए जाएं. तत्पश्चात् भी यदि सुधार नहीं होता है तो उन्हें चेतावनी दी जाए. उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, गोपनीय प्रतिवेदों में प्रतिकूल टिप्पणी कोई ठोस आधार हों तो ही पूर्ण विचारोपरान्त की जाए.

शासन द्वारा यह भी अपेक्षा की जाती है कि इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर बार-बार स्थानांतरित नहीं किया जाए तथा महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापवना करते समय उनका पूरा ध्यान रखा जाए. इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार भेदभावपूर्ण कृत्य/व्यवहार किसी भी हालत में न हो.

यदि इन आदेशों के उल्लंघन के मामले शासन या वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

हस्ता/—
(के. एस. शर्मा)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

पृ. क्रमांक 7-35/97/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 1997

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल/सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव (समस्त), सामान्य प्रशासन विभाग.
5. अवर सचिव (स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय,
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता/-
(जी. एल. अहिरवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग